



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 18 अगस्त, 2021

श्रावण 27, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं रसद अनुभाग-1

संख्या 517/29-1-2021-670-2020

लखनऊ, 18 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प0आ0-273

साधारण खण्ड अधि नियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के, राज्यपाल अधिसूचना संख्या 3385/29-ए वी-2-27, (सीएम)-72, 9 मई, 1973 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश सीमेंट कण्ट्रोल आर्डर, 1973 को विखण्डित करती हैं, सिवाय उन संदर्भित चीजों के, जो की जा चुकी हों या ऐसे विखण्डन के पूर्व किये जाने हेतु छूट चुकी हों।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 517/XXIX-1-2021-670-2020, dated August 18, 2021:

No. 517/XXIX-1-2021-670-2020
Dated Lucknow, August 18, 2021

IN exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897(Act no.10 of 1897), the Governor is pleased to rescind the Uttar Pradesh Cement Control Order, 1973 published *vide* Notification no. 3385/29-AV-2-27(CM)-72, dated May 9, 1973 except as respects things done or *omitted* to be done before such rescission.

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 243 राजपत्र-2021-(556)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० खाद्य एवं रसद-2021-(557)-250 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।